

पाकस्तान द्वारा वायु मार्ग की स्वतंत्रता का उल्लंघन

प्रलिस के लिये:

भारत-पाकस्तान संबंध, शिकागो कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन

मेन्स के लिये:

अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा प्रदत्त फ्रीडम ऑफ द एयर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने बजट एयरलाइन गो फर्स्ट (जैसे पहले GoAir के नाम से जाना जाता था) द्वारा संचालित **शरीनगर और शारजाह** (UAE) के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। इस वमिन को **पाकस्तानी हवाई क्षेत्र** से गुज़रना था।

- हालाँकि उड़ान को **पाकस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई** और गंतव्य तक पहुँचने के लिये उड़ान को लंबा रास्ता तय करना पड़ा।
- इससे पाकस्तान द्वारा **वायु मार्ग की प्राथमिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने की चर्चा बढ़ गई है।**

प्रमुख बडि

■ फ्रीडम ऑफ द एयर:

- वायुमार्ग की स्वतंत्रता (The freedom of air) का अर्थ है कि कोई देश किसी विशेष देश की एयरलाइनों को दूसरे देश के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने और/या वहाँ उतरने का विशेषाधिकार देता है।
- वायु मार्ग शासन की स्वतंत्रता **वर्ष 1944 के शिकागो कन्वेंशन** से नरिगत है।
- कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ताओं ने ऐसे नयिम नरिधारित करने का नरिणय लया जो **अंतरराष्ट्रीय वाणज्यिक वमिनन** के लिये मौलिक नरिमाण प्रक्रिया (Building Blocks) के रूप में कार्य करेंगे।
- यह कन्वेंशन **नौ वायु मार्गों की स्वतंत्रता** प्रदान करता है, लेकिन केवल पहली पाँच स्वतंत्रताओं/फ्रीडम को **अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन** (ICAO) द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है।

- **पहला अधिकार:** यह अधिकार एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रों को लैंडिंग कयि बना अपने क्षेत्र में उड़ान भरने के लिये दिया जाता है।

- गो फर्स्ट (GoFirst) वमिन (भारतीय वाहक) उड़ान के लिये पाकस्तान (द्वितीयक देश) के हवाई क्षेत्र का उपयोग कर रही थी और इस वमिन को संयुक्त अरब अमीरात (तीसरे देश) में उतरना था।

- **दूसरा अधिकार:** गैर-यातायात उद्देश्यों के लिये एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रों को अपने क्षेत्र में उतरने के लिये अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संबंध में अधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त है।

- इसका आशय है कि नई दल्लि से न्यूयॉर्क जाने वाली **एयर इंडिया** की एक फ्लाइट बरटिशि हवाई अड्डे पर उतर सकती है ताकि यात्रियों को सवार कयि या उतारे बना ईंधन भरा जा सके।

- **तीसरा अधिकार:** पहले राष्ट्र के क्षेत्र में वाहक के गृह राष्ट्र से आने वाले यातायात को कम करना।
- **चौथा अधिकार:** पहले राष्ट्र के क्षेत्र में मालवाहक के गृह राज्य हेतु नयित यातायात के तहत उड़ान भरना।
- **पाँचवाँ अधिकार:** पहले राष्ट्र के क्षेत्र में तीसरे राष्ट्र से आने या जाने वाले यातायात को रोकना और उड़ान भरना।

■ भारत के वकिलप:

- पाकस्तान द्वारा हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने से इनकार करना एक उल्लंघन है और शिकागो सम्मेलन द्वारा नरिधारित सिद्धांतों के खलिफ है।

- इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश से इनकार किया है।
- भारत इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के समक्ष रख सकता है।

अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO):

- यह **संयुक्त राष्ट्र** (United Nations-UN) की एक वशिष्ट एजेंसी है, जिसने वर्ष 1944 में स्थापति किया गया था, जिसने शांतपूरण वैश्विक हवाई नेविगेशन के लिये मानकों और प्रक्रियाओं की नींव रखी।
 - अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी अभिसमय/कन्वेंशन पर 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किये गए। इसलिये इसे शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं।
 - शिकागो कन्वेंशन ने वायु मार्ग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय परविहन की अनुमति देने वाले प्रमुख संधिधार्तों की स्थापना की और ICAO के निर्माण का भी नेतृत्व किया।
- इसका एक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय हवाई परविहन की योजना एवं विकास को बढ़ावा देना है ताकि दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन की सुरक्षा तथा व्यवस्थिति वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
 - भारत इसके 193 सदस्यों में से है।
- इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pakistan-violating-freedom-of-air>

